भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1192
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 / 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

त्रिपुरा के लिए वित्तीय सहायता

†1192. श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) त्रिपुरा में हाल ही में आई बाढ़ के संबंध में सरकार द्वारा क्या आकलन किया गया है और अवसंरचना, कृषि और स्थानीय निवासियों को कितना नुकसान हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में आई बाढ़ के मद्देनजर त्रिपुरा राज्य सरकार से राहत पैकेज हेतु औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो राज्य द्वारा अनुरोध किए गए राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में आई बाढ़ के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा त्रिपुरा को कितनी वित्तीय सहायता और राहत पैकेज आबंटित और जारी किया गया है और इसके संवितरण की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, नुकसान का आकलन करने और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास रखे गए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1192, दिनांक 03.12.2024

2024 के दौरान त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के मद्देनजर, त्रिपुरा राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए 27 अगस्त, 2024 को एक आईएमसीटी का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने 28 अगस्त से 30 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के दौरान त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 36 मानव जीवन, 3584 मवेशियों की हानि, 34773 घरों को नुकसान और 0.59 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार ने 13 सितंबर, 2024 को अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर एनडीआरएफ के तहत 7080.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की, जिसमें बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के लिए 5854.83 करोड़ रुपये शामिल हैं। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एसडीआरएफ में त्रिपुरा राज्य सरकार को 70.40 करोड़ रुपये (63.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 7.20 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) आवंटित किए गए हैं। 63.20 करोड़ रुपये का पूरा केंद्रीय हिस्सा पहले ही त्रिपुरा राज्य सरकार को जारी किया जा चुका है। इसके अलावा, त्रिपुरा राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 227.92 करोड़ रुपये की राशि शेष होने की सूचना दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के तहत 2025-26 के आवंटन से अग्रिम के रूप में 8.40 करोड़ रुपये की राशि और एनडीआरएफ से 25.00 करोड़ रुपये की राशि त्रिपुरा राज्य सरकार को 'खाता आधार पर' अग्रिम के रूप में जारी की है। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में 331.72 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

*****